

प्रेषक,

अतुल सिंह

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कक्ष सं०-09, लखनऊ।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबंधक

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,

जिला एवं सत्र न्यायालय,

लखनऊ।

विषय- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं०-14/2024/सा-3-243/ दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28.06.2024 तथा शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 के क्रम में विकल्प का प्रयोग करके पुरानी पेंशन योजना का चयन (वरण) किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा दिनांक 15 नवंबर 2003 को, उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 347 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन सं०-ए-2/ई-1/2003, प्रकाशित कराया गया था। उक्त के क्रम में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा तत्समय अपना आवेदन प्रस्तुत करते हुए उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार को उत्तीर्ण करते हुए अन्तिम चयन सूची में स्थान पाया था। तथा उ०प्र० सरकार के द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-2430/11-4-06-32(1) 2001 T.C.-1 Dated 26.05.2006 एवं उक्त के क्रम में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिसूचना सं०-1021/DR(S)/2006 Dated 13.06.2006 (प्रति संलग्न) के द्वारा अद्योहस्ताक्षरी की नियुक्ति बतौर अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रायबरेली, के पद पर हुई थी। उक्त के अनुपालन में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा बतौर अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रायबरेली का पदभार दिनांक 15.06.2006 को ग्रहण कर लिया गया था।

तत्समय प्रचलित व्यवस्था के अनुसार अद्योहस्ताक्षरी की सेवाएं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित मानते हुए अद्योहस्ताक्षरी को खाता सं०-060620072000154 आवंटित करते हुए राज्य सरकार द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के वेतन से नियमानुसार तथा अनिवार्य रूप से अंशदान की कटौती की जाती रही। कालान्तर में उपरोक्त वर्णित खाता सं० के स्थान पर अद्योहस्ताक्षरी को PRAN सं०-110032693987 आवंटित करते हुए पूर्व का अंशदान तथा नवीन अंशदान उक्त PRAN में उद्यतन जमा किया जा रहा है। यह भी अवगत करना है कि अद्योहस्ताक्षरी वर्तमान में बतौर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद लखनऊ में पदस्थ है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अद्योहस्ताक्षरी, महोदय का ध्यान वित्त ( सामान्य ) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश सं० - 14 / 2024 / सा - 3- 243 / दस -2024 / 301 (1) / 2024 दिनांक 28.06.2024 (प्रति संलग्न) की ओर आकृष्ट करना चाहेगा जिसमें शासन द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की गयी है कि उ०प्र० सरकार के समस्त कर्मी जिन्हें उस पद या रिक्त के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए

५

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अधिसूचना की दिनांक अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, " उ०प्र० रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किये जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए। उक्त शासनादेश में यह भी व्यवस्था प्रदान की गयी है कि उक्त विकल्प सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे।

उपरोक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा उपरोक्त अंकित प्रथम प्रस्तर में स्पष्ट किया जा चुका है कि अद्योहस्ताक्षरी के उ०प्र० न्यायिक सेवा में चयन हेतु जिस विज्ञापन के सापेक्ष उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गयी थी, वह विज्ञापन 15 नवंबर 2003 को प्रकाशित हुआ था। अर्थात प्रश्रगत शासनादेश में वर्णित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 से पूर्व। इस प्रकार अद्योहस्ताक्षरी का यह विनम्र निवेदन है कि वह, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश सं० - 14 / 2024 / सा - 3- 243 / दस-2024/301 (1) / 2024 दिनांक 28.06.2024 की शर्तों को पूर्ण करता है और तद्वत् अद्योहस्ताक्षरी पुरानी पेंशन योजना (अंतर्गत उ०प्र० रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961) का चयन/वरण करने हेतु अर्ह है।


अतः अद्योहस्ताक्षरी एतद्द्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश सं० - 14 / 2024 / सा - 3- 243 / दस-2024/301 (1) / 2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा प्रदत्त विकल्प का वरण करते हुए पुरानी पेंशन योजना (अन्तर्गत उ०प्र० रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961) के अधीन आच्छादित/कवर किये जाने के विकल्प का चयन/वरण करता है तथा उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 तथा माननीय न्यायालय द्वारा तदक्रम में निर्गत पत्र सं०-9691/IV-F-82(Pension)/Admin (A) दिनांक 16 जुलाई 2024 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में, अद्योहस्ताक्षरी उक्त शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप को भरकर प्रस्तुत पत्र के साथ संलग्न कर, श्रीमान् जी के माध्यम से, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

तत्क्रम में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर यथावश्यक अग्रत्तर कार्यवाही हेतु निवेदन करने की महती कृपा करें।

सादर,

दिनांक-24.07.2024

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय  
  
(अतुल सिंह)  
जे०ओ० कोड-UP6243

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-श्रीमान आहरण एवं वितरण अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय, लखनऊ।
- 2-श्रीमान् अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

दिनांक-24.07.2024

(अतुल सिंह)  
जे०ओ० कोड-UP6243

कार्यालय जनपद, न्यायाधीश, लखनऊ  
36314 पत्रिका/XPPE दिनांक 25/7/24  
अग्रसारित किया गया।

जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

विकल्प पत्र

1. नाम- अतुल सिंह
2. वर्तमान पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ
3. वेतनमान- J-5, 144840-194660
4. वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग (जिला एवं सत्र न्यायालय, लखनऊ)
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- नियुक्ति विभाग (अनुभाग-4)
6. विज्ञप्ति की तिथि- 15.11.2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि-उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं०-2430/II-4-06-32(1)2001 T.C.-1 dated 26.5.2006, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-1021/DR(S)2006, 13 June 2006।
8. योगदान की तिथि- 15.08.2006
9. जन्मतिथि- 29 जून 1977
10. सेवानिवृत्ति की तिथि- 30 जून 1937

मैं अतुल सिंह पुत्र श्री अरूण सिंह, शासनादेश संख्या 14 / 2024 / सा-3-243/दस-2024/ 301(1)/ 2024 दिनांकित 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) / नवीन पेंशन योजना (⊖) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर-

नाम- अतुल सिंह

पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ

घोषणा पत्र

मैं अतुल सिंह पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या - 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-

नाम- अतुल सिंह

पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री अतुल सिंह, पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) / नवीन पेंशन योजना (⊖) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति  
District Judge  
Lucknow

**HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD****NOTIFICATION****DATED: ALLAHABAD: June 13, 2006****No. 947 /DR(S)/2006**

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Vikas Goyal**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Farrukhabad in the vacant court.

**No. 948 /DR(S)/2006**

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Tanya Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hardoi in the vacant court.

**No. 949 /DR(S)/2006**

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Prashant Mittal**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Meerut in the vacant court.

**No. 950 /DR(S)/2006**

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Shelly Roy**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hathras in the vacant court..

**No. 951 /DR(S)/2006**

**Sri Bhoopendra Rai**, Additional Civil Judge, Junior Division, Allahabad is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad in the vacant court.

**No. 952 /DR(S)/2006**

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Sanjeev Kumar Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad in the vacant court.

**No. 953 /DR(S)/2006**

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Kamlesh Kumar Pathak**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Allahabad.

**No. 954 /DR(S)/2006**

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Hitendra Hari**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Mau in vacant court.

No. 1018 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri Amit Veer Singh, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Bulandshahr.

No. 1019 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri Pushpender Singh, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Lalitpur.

No. 1020 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri Pranvijay Singh, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Azamgarh.

No. 1021 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri Atul Singh, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Raibareli.

No. 1022 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri Samar Vishal, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Etawah.

No. 1023 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri Swapna Singh, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Lucknow.

No. 1024 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri Amit Kumar Pande, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division Agra.

No. 1025 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri Alok Dwivedi, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Varanasi in the vacant court

No. 1026 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri Shikha Pathak, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Meerut.

No. 1027 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri Dharendra Kumar, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Lucknow.

1276

32(1)/

No. 1276 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri Raju Prasad, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Civil Judge, Junior Division, Siddharth Nagar.

No. 1277 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri Sushil Kumar Kharwar, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Siddharth Nagar vice Sri Prahalad Singh.

No. 1278 /DR(S)/2006

Sri Prahalad Singh, Judicial Magistrate, First Class, Siddharthnagar to be Additional Civil Judge, Junior Division, Siddharthnagar.

No. 1279 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri Ram Bilas Prasad, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Hardoi.

No. 1280 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri Anil Kumar Kharwar, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Pratapgarh.

BY ORDER OF THE COURT,

Sd/-  
(SWATANTRA SINGH)  
REGISTRAR GENERAL

No. 107 /DR (S)/2006: Allahabad: Dated: June 13, 2006.

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. Pramukh Sachiv, Niyukti, U.P. Shasan, Lucknow.
2. Pramukh Sachiv, Nyay Evam Vidhiparamarshi, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow.
3. The Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001.
4. The Director, Institute of Judicial Training & Research, U.P., Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow requesting him to impart induction training to the newly appointed Civil Judge, Junior Division in three batches of 120 officers (1<sup>st</sup> Batch - Sl. No. 1 to 120, 2<sup>nd</sup> Batch- Sl. No. 121 to 240 and 3<sup>rd</sup> Batch- Sl. No. 241 to onwards (plus who could not participate in their allotted batch) in two phases of 45 days each as per existing practice. (Information available on E-mail).
5. The Additional Director, Treasury, Camp Office, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad.
6. The Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow with the request to place Notification before Hon'ble Judges, Sitting at Lucknow Bench, Lucknow. (Information available on Email).

7. All the District & Sessions Judges, along with photocopy of U.P. Government Notification/Appointment No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006. (Information available on E-mail).

- (i) The District & Sessions Judges are directed that before permitting the newly appointed candidates Civil Judge, Junior Division, to take over charge on the post, shall obtain affidavit in the prescribed proforma as appended with the aforesaid Government Notification/ Appointment dated 26.5.2006 in respect of their Character antecedents from them.
- (ii) The recent passport size photograph shall be affixed on the affidavit by the candidate Civil Judge Junior Division.
- (iii) The aforesaid original affidavit containing photograph alongwith copy of the charge certificates of the candidate Civil Judge Junior Division be sent to the Deputy Registrar (Services), High Court, Allahabad by registered post and photo copy of the same (affidavit & Charge Certificate) be sent to the Government of U.P., Appointment Section-4, Lucknow forthwith.
- (iv) The District & Sessions Judges are asked to direct 120 newly appointed officers in the cadre of Civil Judge, Junior Division posted in the district as mentioned in the appended list to participate in the Induction Training programme, which is scheduled to be held w.e.f. 24<sup>th</sup> June, 2006 (1<sup>st</sup> Batch) at Institute of Judicial Training & Research, U.P., Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow.
- (v) The District & Sessions Judges are directed to make arrangement for two weeks' training in the Judgeship for those newly appointed officers in the cadre Civil Judge, Junior Division posted in the districts who have not been nominated to undergo Induction Training in the first batch. They are further directed to take judicial work from these officers after completion of aforesaid two weeks' training in their wisdom.

It is to add that local arrangement shall be made by you in pursuance of Court's Circular Letter No.27/D.R.(S)/2000 dated 21.6.2000.

8. All the newly appointed candidates Civil Judge, Junior Division.

- (i) Above mentioned appointed candidates Civil Judge, Junior Division will proceed to take over charge of their places of posting and submit an affidavit in the prescribed proforma as enclosed with the U.P. Government Notification/ Appointment No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 in respect of their character antecedents immediately to the District & Sessions Judges concerned before to take over charge on the post in the Judgeships. The recent passport size photograph shall be affixed on the affidavit by the candidate Civil Judge Junior Division.
- (ii) After taking over charge on the post in the concerned district first one hundred and twenty officers in the cadre of Civil Judge, Junior Division whose names are given in appended list are directed to undergo Induction Training which is scheduled to be held w.e.f. 24<sup>th</sup> June, 2006 (1<sup>st</sup> Batch) at Institute of Judicial Training & Research, U.P., Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow.
- (iii) Newly appointed candidate Civil Judge, Junior Division should note that their appointment to the post of Civil Judge, Junior Division in U.P. Nyayik Sewa is purely temporary and until they are absorbed and appointed as permanent Civil Judge, Junior Division. They shall be subjected to general conditions of services applicable to temporary Government servant contained in Government Notification No. 20/I/74-Niyukti-3, dated June 11, 1975 and also under the condition laid down in U.P. Government Notification/Appointment No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006.

9. The Publication Secretary, U.P. Judicial Services Association Office, A-1, River Bank Judges Colony, Lucknow.
10. The Registrar (Confidential), High Court, Allahabad.
11. The Officer on Special Duty (Computer)/ Incharge Computer Centre, High Court, Allahabad.
12. The Assistant Registrar (Budget), High Court, Allahabad.
13. The Section Officer (Admin.A-3) Section, High Court, Allahabad.
14. The Section Officer (Admin. H) Section, High Court, Allahabad
15. The Director, Printing & Stationary, U.P. Allahabad for publication of the notification in the next issue of the Gazette.
16. P.S. to Hon'ble Judges, High Court, Allahabad with the request to place this notification before the Hon'ble Judges sitting at Allahabad for their Lordships kind perusal. (Information available on E-mail).

**BY ORDER OF THE COURT,**

**Sd/-**

**(K. K. RANJAN)**

**DEPUTY REGISTRAR (SERVICES)**



प्रेषक,

दीपक कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

2- ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे हैं।

3- केन्द्र सरकार के कार्यालय जाप संख्या-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4- इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों, केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय जाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5- उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

(1). विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।

(2). उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को, उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।

(3). जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।

(4). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।

(5). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6). ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6- पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार  
अपर मुख्य सचिव।

4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-सा-3-243(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।